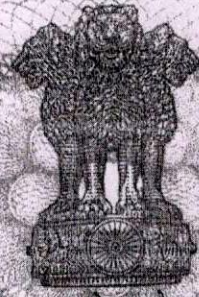


भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

गुजरात गुजरात GUJARAT

BM 593894

29846 23/9/11
स्टेम्प डा. 900 रु. 9 पेडा डा.
जरीदारनाम श्री. य. जयतल्लु जरीदार नां 222
रहेवाशी. हस्ते श्री. य. जयतल्लु
स्टेम्प लघु जलारनी सही ह. स. य. जयतल्लु

ASPS 72174

घर : "संतोषी सदन"
वाणेर पत्नी, रामकुवा सामे,
जयदेवर मंदिर चौक.

जरीदारनाम श्री. य. जयतल्लु हस्ते
(स्टेम्प पेन्सिल सा. नां 9/900)
लघु जलारनी सही

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) सागर (मध्य प्रदेश)

एवं

श्री ५ नवतनपुरी धाम खीजड़ा मन्दिर ट्रस्ट, जामनगर

संचालन - संकलन अनुबन्ध (MOU)



डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय) सागर(म.प्र.)

(जिसे अब 'विश्वविद्यालय' के रूपमें सम्बोधित किया जाएगा).....प्रथम पक्षकार

और

श्री ५ नवतनपुरी धाम खीजड़ा मन्दिर ट्रस्ट, जामनगर
(जिसका ट्रस्ट पंजीकरण क्रमांक A -191/जामनगर है

जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मका आचार्यपीठ है। और

एक धार्मिक, शैक्षणिक एवं समाजसेवी संस्था है।)

(जिसे अब 'संस्था' के रूपमें सम्बोधित किया जाएगा।).....द्वितीय पक्षकार

प्रासंगिक

- १) प्रथम पक्षकार विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्यके मध्य भाग सागरमें स्थित है तथा सागर जिलेके आसपासके बहुतसे जिलोंके निवासी विद्यार्थी जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्मके अनुयायी हैं प्रथम पक्षकार विश्वविद्यालयमें अध्ययन करते हैं।
- २) इसीलिए द्वितीय पक्षकार 'संस्था' प्रथम पक्षकार विश्वविद्यालयमें श्री कृष्ण प्रणामी स्वाध्यायपीठ स्थापित करना चाहती है।
- ३) उपर्युक्त सन्दर्भमें अनुच्छेद (२) में रखा गया प्रस्ताव विश्वविद्यालय को स्वीकार्य होनेके कारण 'श्री कृष्ण प्रणामी स्वाध्यायपीठ'की स्थापना एवं उसके संचालनके लिए दोनों पक्षकारोंके बीच सर्वसंमतिसे अनुबन्ध किया जाता है।

करार (MOU)

- १) उपर्युक्त स्वाध्यायपीठकी स्थापनाके लिए द्वितीय पक्षकार 'संस्था' की ओरसे रु. 11,11,111/ (रु. ग्यारह लाख, ग्यारह हजार एकसौ ग्यारह मात्र) का अनुदान प्रथम पक्षकार 'विश्वविद्यालय'को दिया जाएगा।
- २) यह धनराशि विश्वविद्यालयको शेड्युल बैंककी निर्धारित अनामत(Fix deposit)के रूपमें अलग खातेमें रखनी होगी। मूल धनराशि (Principal Amount) सुरक्षित रखकर केवल व्याजकी आयसे स्वाध्यायपीठकी गतिविधियोंके लिए व्यय हो सकेगा।



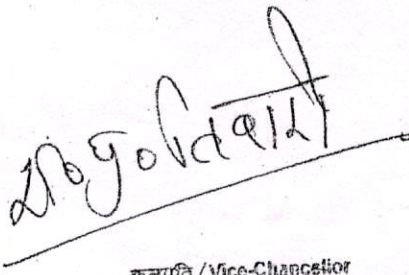
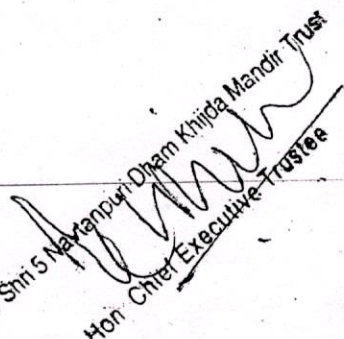
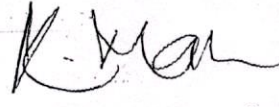
- ३) स्वाध्यायपीठ विश्वविद्यालयके दर्शन विभागमें स्थापित की जायेगी और उसमें विश्वविद्यालयके हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, इतिहास आदि विभागोंके अध्यापकोंको भी अध्ययन एवं शोध प्रकल्पमें सम्मिलित किया जाएगा।
- ४) दर्शन विभागके किसी अध्यापकको मानद् नियामकके पद पर नियुक्त किया जाएगा। ब्याजकी आयका व्यय नियामक एवं कुलसचिवके संयुक्त हस्ताक्षरसे किया जाएगा। इस धनराशिसे विश्वविद्यालयके विविध विभागोंमें श्री कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायके संदर्भमें एम.फिल. पीएच.डी. एवं पोस्ट डॉक्टरल रीसर्चके लिए आर्थिक अनुदान दिया जा सकेगा। विविध विभागोंमें परिसंवाद, विशेष वक्तव्योंके लिए उचित पुरस्कार देकर कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे। 'श्री कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायका परिचय', 'श्री कृष्ण प्रणामी साहित्यका परिचय' अथवा 'श्री कृष्ण प्रणामी तत्त्वदर्शनका परिचय' जैसे संक्षिप्त समयावधिके सर्टीफिकेट या डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे। इनके लिए प्रवेश शुल्क ढाँचा सामान्य रखा जाएगा तथा विश्वविद्यालयके नियमानुसार आमंत्रित व्याख्याताओंको पुरस्कार या आवागमन खर्च आदि दिया जाएगा।
- ५) प्रणामी सम्प्रदाय संबंधी शोध लेखोंके प्रकाशन या अन्य प्रकाशनोंके लिए समुचित आर्थिक अनुदान दिया जायेगा।
- ६) ऐसे पाठ्यक्रमोंके लिए 'विश्वविद्यालय' द्वारा नियुक्त सदस्य आमंत्रित विद्वानों इत्यादिके नाम सूचित करेंगे। इसके अतिरिक्त 'संस्था' द्वारा नियुक्त सदस्य श्री प्रणामी दर्शनसे अभिज्ञ विद्वानोंके नाम सूचित करेंगे।
- ७) स्वाध्यायपीठके कार्यान्वयनके लिए विश्वविद्यालयके कुलपतिकी अध्यक्षतामें कुलसचिव, लेखा अधिकारी, मानद् नियामकके अतिरिक्त तीन वर्षोंके लिए विश्वविद्यालयसे तीन विद्वान तथा 'संस्था'की ओरसे नियुक्त चार विद्वानोंकी कार्यवाहक समिति गठित की जाएगी, जिसकी वर्षमें कमसे कम दो बार बैठक आयोजित करनी होगी।
- ८) 'संस्था' द्वारा नियुक्त सदस्योंका आवागमन खर्च संस्था वहन करेगी। केवल भोजन-निवासका निःशुल्क प्रबंध स्वाध्यायपीठ 'विश्वविद्यालय'को करना होगा।
- ९) स्वाध्यायपीठके संचालनके लिए कार्यालय, कार्यक्रम स्थल तथा आनुषंगिक सुविधाएं 'विश्वविद्यालय' निःशुल्क उपलब्ध करायेगी।
- १०) भविष्यमें ब्याजकी धनराशिसे अधिक खर्च होगा तो संबंधित वर्षमें अधिक खर्चके लिए संस्थाकी पूर्व अनुमति पश्चात् प्रथम पक्षकार खर्च कर सकेगा।



११) अनुदानकी धनराशिके ब्याजकी आय शुरु हो उसके पूर्व प्रारंभके एक वर्षकी समयावधिके खर्चका भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तोंके अधीन दोनों पक्षकार श्री कृष्ण प्रणामी स्वाध्यायपीठकी रचना करते हैं तथा उसका सुचारु संचालन करना निश्चित किया जाता है।

आज 31/01/2019 के दिन दोनों पक्षकारोंने यह करार स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर किये हैं।

गवाहोंके हस्ताक्षर	दोनों पक्षकारोंके हस्ताक्षर	फोटोग्राफ्स
	 कुलपति / Vice-Chancellor डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय Doctor Harisingh Gour Vishwavidyalaya सागर (म. प्र.) / Sagar (M.P.) 470003	
गवाहके हस्ताक्षर	प्रथम पक्षकारके हस्ताक्षर-सिका	
 For Shri 5 Navtanpuri Dham Khijada Mandir Trust Hon. Chief Executive Trustee	 Chairman/Managing Trustee Shri 5 Navtanpuri Dham-Khijada Mandir Trust	 
गवाहके हस्ताक्षर	द्वितीय पक्षकारके हस्ताक्षर-सिका	